प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **63 / 2025** (अपील सूचना का अधिकार)

Radha Charnal Add: Chandpol Bahar, Ward no. 25, Kankroli, Rajsamand

.............अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर(शहर), उदयपुर

................प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 20/05/2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329639571290316 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 07.03.2025 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई पूर्ण सूचना उपलब्ध नही करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 5387443356 दिनांक 24.04.2025 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/63/25/408–09 दिनांक 24.04.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकार एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर(शहर), उदयपुर द्वारा जरिये पत्रांक प.न्याय/विविध/2025/3139 दिनांक 14.05.2025 से प्रत्युत्तर प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को अवगत कराया गया कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में दो बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। उक्त दो बिन्दुओं की सूचना प्रार्थीया को निर्धारित अवधि में उपलब्ध करवा दी गई। प्रार्थिया द्वारा अपने अपील प्रार्थना पत्र में उक्त दो बिन्दुओं के अतिरिक्त अन्य दस्तावेजों (हैसियत प्रमाण पत्र आदि) की प्रतियां चाही गई है जिसका विवरण प्रार्थीया द्वारा अपने पूर्व प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया गया है। प्रार्थीया द्वारा अपील प्रार्थना पत्र में चाही गई सूचना पूर्व प्रार्थना पत्र में अंकित सूचनाओं से पृथक है। अतः प्रार्थिया का अपील प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थिया द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर(शहर), उदयपुर के कार्यालय से जितेन्द्र कुमार को जमानत देने के लिये जून 2012 में पास पेरोल ऑर्डर एवं पेरोल ऑर्डर के लिए देय आवेदन एवं आवेदन के साथ लगाये गये समस्त दस्तावेजों की प्रमातिण प्रतियां चाही गई थी। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थीया द्वारा चाही गई वांछित सूचना जरिये ऑनलाईन पत्रांक 7854536034 दिनांक 07.04.2025 से उपलब्ध करवा दी गई है। प्रथमदृष्टया यह न्यायालय प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब से संतुष्ट है।

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

अपीलार्थियां द्वारा अपील दिनांक 16.04.2025 से हैसियत प्रमाण पत्र वगैराह की प्रतियां नहीं दिये जाने के संबंध में कथन किया गया है परन्तु अपीलार्थियां द्वारा अपने मूल प्रार्थना पत्र दिनांक 07.03.2025 से केवल आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तोवजों की प्रति ही चाही गई थी जो प्रत्यर्थी द्वारा नियमानुसार उपस्थित करवा दी गई है। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर(शहर), उदयपुर द्वारा न्यायालय में प्रेषित जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ना ही अपीलार्थियां सुनवाई के दौरान उपस्थित हुई है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर/सूचना अपीलार्थियां को प्राप्त हो गई है तथा वह प्रत्यर्थी के जवाब से संतुष्ट है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थियां सारहीन होने से खारिज की जाती है। यदि अपीलार्थियां को अन्य कोई दस्तावेज चाहिए हो तो वह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत सूचना प्राप्त कर सकती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20-05-25 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, उदयपुर

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलक्टर, उदयपुर